

## 1937 और 1946 ई. के दौरान बिहार में मुस्लिम अलगाववाद का प्रसार

डॉ. धीरा शाह

सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरदा (म.प्र.)

प्रस्तुत शोधपत्र 1937 और 1946 ई. के दौरान बिहार में मुस्लिम अलगाववाद के प्रसार को लेकर लिखा गया है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, इससे अलगाववाद की प्रवृत्तियों का स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहा था। सन् 1909, 1919 एवं 1935 ई. के भारत शासन के अधिनियमों में इसे वैधानिक रूप और गति दी गई। सन् 1916 में कांग्रेस का लखनऊ सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति प्रारंभ हुई। पाकिस्तान उसका ही एक प्रमाण है। चुनावी राजनीति में फूट डालो और राज करो की नीति साफ दिखाई देती है। बिहार में भी वही सब कुछ हुआ, जो इस नीति के तहत किया जाना आवश्यक होता है।

वर्ष 1906 ई. में मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ ही मुस्लिम समुदाय में अलगाववादी प्रवृत्तियों का स्पष्ट प्रसार दिखाई पड़ने लगा था। 1909, 1919 एवं 1935 ई. के भारत शासन अधिनियमों में वैधानिक रूप से इसे गति प्रदान की गई। 1916 ई. के लखनऊ सम्मेलन में कांग्रेस के द्वारा जिस मुस्लिम तुष्टिकरण का प्रारंभ किया गया था, पाकिस्तान को उसका ही फल माना जाता है। वस्तुतः राष्ट्रीय आंदोलन की परिपक्वता के साथ-साथ हमें अलगाववादी धटनाएँ भी स्पष्टतः मजबूत होती दिखाई पड़ती हैं।

चुनावी राजनीति भारत में अलगाववादी प्रवृत्ति को बढ़ाने में सहायक रही थी। बिहार के प्रांतीय चुनाव के दौरान इसकी प्रगति को हम इस लेख के द्वारा विश्लेषित करने का प्रयास करेंगे। बिहार प्रांतीय चुनाव वर्ष 1937 ई. में 22 से 27 जनवरी के मध्य एवं 1946 में 22 फरवरी से 01 मार्च तक हुए थे। विधानसभा में कुल 152 सीटें थीं और 39 सीटें मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित थीं, 96 सामान्य सीटें थीं। इस चुनाव हेतु मतदाताओं की संख्या विभिन्न समुदायों के मध्य निम्न प्रकार थी :

कुल मतदाता	-	2412229
सामान्य मतदाता	-	2010664
सामान्य महिलाएँ	-	186335
भावना अनुसूचित जाति	-	225000
मुस्लिम मतदाता	-	324393
मुस्लिम महिलाएँ	-	31854
एंग्लो इण्डियन व युरोपियन	-	2963

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस चुनाव में कुल 152 में से 107 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किये थे, जिसमें से वह 98 पर विजयी रही थी। अर्थात उसे कुल सीटों का 65 प्रतिशत एवं खड़े किये गये प्रत्याशियों का 92 प्रतिशत स्थानों पर सफलता प्राप्त हुई। साथ ही कांग्रेस ने कुल पढ़ें मतों का 75 प्रतिशत मत प्राप्त किए। 5 सामान्य शहरी सीटों में उसे पूर्ण एवं 73 सामान्य ग्रामीण सीटों में से 68 पर वह सफल रही थी। किन्तु कांग्रेस ने 39 मुस्लिम आरक्षित सीटों में से 7 पर ही अपने उम्मीदवार खड़े किए और उसे 5 सीटों पर सफलता मिली थी। मुस्लिम लीग को इस चुनाव में एक भी स्थान पर सफलता नहीं मिली वस्तुतः इंडीपेण्ड दल, मुस्लिम युनाइटेड दल और अहरार पार्टीयों जैसे क्षेत्रीय मुस्लिम दलों ने अधिकांश मुस्लिम सीटों पर सफलता प्राप्त की

थी। निःसंदेह कांग्रेस मुस्लिम आरक्षित स्थानों एवं मुस्लिम बहुल प्रांतों में सफल नहीं रही थी। चार में से तीन मुस्लिम बहुल प्रांतों—बंगाल, पंजाब और सिंध में तुलनात्मक रूप से कांग्रेस ने बहुत बुरा प्रदर्शन किया था।

कई विचारकों का मानना है कि चुनाव पश्चात् कांग्रेस की नीतियाँ संतुलित नहीं रह गई थीं। तकी रहीम जैसे बिहार के मुस्लिम लेखक ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया है कि उसके द्वारा अकेले अपने दल की सरकार बनाने की गलत नीतियों के कारण देश में हिन्दू-मुस्लिम तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। मुस्लिम जनता इस तथ्य पर भी आश्चर्यचकित रह गई कि कांग्रेस ने कुल मुस्लिम आरक्षित स्थानों में से 58 स्थानों पर ही अपने उम्मीदवार खड़े किए और उसे 26 पर ही सफलता मिली। वहीं 808 सामान्य हिन्दू स्थानों में से 711 पर वह सफल रही थी। बहुमत से विजयी वाले राज्यों में भी उसने अपने सामान्य विचारों वाले मुस्लिम दलों को भी सरकार में शामिल करने से मना कर दिया।

निःसंदेह चुनाव परिणाम एवं बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में जिन्ना एवं मुस्लिम लीग की स्थिति हास्यास्पद बनती जा रही थी। अतः उन्होंने प्रतिक्रियावादी एवं सांप्रदायिक राजनीति प्रांत बनाया। उन्होंने घोषणा कर दी कि बहुसंख्यक समुदाय से समझौता होना असंभव है। अतः मुसलमानों को संगठित होकर मुस्लिम लीग के झंडे के नीचे आ जाना चाहिए, जिससे लीग एक शक्तिशाली मुस्लिम संगठन बन सके। मि. जिन्ना ने कहा कि मुसलमानों को कांग्रेस से कोई लगाव नहीं है, इसका दोष कांग्रेस पर ही है। क्योंकि उनकी सरकार ने हिंदी भाषा जारी किया है, वन्देमातरम् का गीत और कांग्रेस का झंडा चलाया है।

दल	चनाव में खड़े उम्मीदवार	निविरोध निर्वाचित	चुनाव में विजय	कुल विजय	हार
कांग्रेस	109	44	54	98	11
मुस्लिम लीग	42	02	32	34	8
मोमिन कांफेस	19	—	—	05	14
हिन्दू महासभा	15	—	—	—	15
रा.वादी मुसलमान	04	—	—	—	04
कुल	268	55	97	152	116

नोट : सभी दलों का उल्लेख नहीं है।

जिन्ना अब राष्ट्रीय स्तर पर भ्रमण कर मुसलमानों को असहाय बताने लगे और विकल्प के रूप में लीग के झंडे के नीचे एक होकर मुसलमानों को शक्तिशाली बनाने की बात करने लगे। इस क्रम में उनका बिहार का भ्रमण भी कई बार हुआ। 1937 ई. में जिन्ना बिहार आए। इस समय लगभग 4000 मुसलमानों ने उन्हें बैठक के दौरान ही अपना नेता मान लिया। अहरार एवं युनाईटेड जैसे क्षेत्रीय मुस्लिम दलों का विलय भी इस दौरान मुस्लिम लीग में हो गया। लीग की राज्य स्तरीय संघटनात्मक समिति बनाई गई, इसका अध्यक्ष मौलवी इब्राहिम एवं सचिव जफर इमाम को बनाया गया। जिन्ना जनवरी 1938 में फिर बिहार आए। मार्च और अप्रैल महीने के मध्य लगभग 75000 मुसलमानों ने लीग की सदस्यता ली थी। एक अनुमान के अनुसार मुस्लिम लीग की राष्ट्रीय स्तर पर सदस्य संख्या 1837 ई. के चुनाव से पूर्व 1330 थी, जो 1938 ई. में बढ़कर एक लाख एवं 1844 ई. में यह 20 लाख हो गई थी।

जिन्ना ने 1037–38 ई. में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए कहा कि मुसलमानों के भलाई के लिए अगर उन्हें सांप्रदायिक कहा जाता है, तो उन्हे इस पर गर्व हैं। अब वे

खुलकर सांप्रदायिक भाषण दे रहे थे। बिहार में लीग की गतिविधियाँ एवं संगठन क्षमता का विस्तार हो रहा था। फलतः हिन्दू सांप्रदायिक दलों ने भी स्वयं को प्रत्युत्तर में स्थापित किया। फलतः बिहार में तनाव की स्थिति एवं सांप्रदायिक दंगे बढ़ते जा रहे थे।

1937 ई. में गया जिले के मजवा गाँव में बकरीद के अवसर पर दंगा भड़क गया था। अक्टूबर 1931 ई. में बेगुसराय अनुमंडल के बलिया गाँव में गंभीर दंगा भड़का बाजार भी पूरी तरह जला दिए गए थे, किंतु हिन्दुओं की दुकानों के बीच में जो मुसलमानों की दुकानें थी, उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाया गया। इसी प्रकार वर्ष 1941 ई. में बिहार शरीफ में हिन्दू दलों ने हिन्दुस्तान दिवस मनाया। प्रत्युत्तर में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस का आयोजन किया। फलतः यहाँ भी भयंकर दंगा भड़का, जिसका जिक्र बिहार के सभी इतिहासकारों ने किया है। वर्तुतः दोनों सम्प्रदायों में विवाद के विषय सामान्यतया राष्ट्रीय झंडा, वंदेमातरम्, सरस्वती वंदना, हिन्दी भाषा के प्रयोग और मस्जिद के सामने बाजा बजाना आदि था। 1940 ई. में लीग ने जब एक स्वतंत्र और पृथक पाकिस्तान की माँग औपचारिक रूप से कर दी, तो अलगाववादी प्रवृत्ति तेजी से प्रसार पाने लगी थी। इस दौरान लीग की संगठनात्मक क्षमता एवं नेतृत्व का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। कार्यकर्ता निरंतर सक्रिय थे और अब उन्हे अपने समुदाय के सभी वर्गों से सहयोग प्राप्त होने लगा था, जिसमें छात्र, वकिल, पत्रकार एवं बुद्धिजीवी वर्ग भी शामिल थे। लीग को बिहार में राजनीतिक एवं जमीनी स्तर पर कड़ी टक्कर मोमिन दल एवं श्री अंसारी ने दी थी। उन्होंने, उसके दो राष्ट्र सिद्धांत की आलोचना की और लीग को मोमिनों एवं असारियों के खिलाफ बताया।

समुदाय	कुल मतदाता	कांग्रेस		मु० लीग		हिन्दू महासभा		राष्ट्रवादी मुसलमान	
		प्राप्त मत	मत प्रतिशत	प्राप्त मत	मत प्रतिशत	प्राप्त मत	मत प्रतिशत	प्राप्त मत	मत प्रतिशत
सामान्य	13960536	11294881	80.9	—	—	257975	1.8	—	—
शहरी	1474397	1259664	184.8	—	—	35701	2.4	—	—
ग्रामीण	12486139	10044217	80.4	—	—	222214	1.8	—	—
मुस्लिम	608472	276175	4.6	4547158	74.7	—	—	391692	6.4
शहरी	674849	15834	2.3	531089	78.7	—	—	33588	5.0
ग्रामीण	5409423	260341	4.8	4016069	74.3	—	—	358104	6.6

1946 ई.के प्रांतिय चुनाव 22 फरवरी से 01 मार्च तक था, मतगणना 6–8 मार्च को थी। बिहार में कांग्रेस के चुनाव प्रचारकों में— जवाहरलाल नेहरू, डॉ.राजेन्द्र प्रसाद, अब्दुल बारी एवं मोमिन दल के नेता श्री अब्दुल क्यूम अंसारी प्रमुख थे। दिसंबर 1945 ई. में केन्द्रीय विधानसभा के चुनाव परिणाम आ चुके थे। इसमें लीग ने मुस्लिमों के लिए आरक्षित सभी 30 स्थानों पर 86.6 प्रतिशत मतों के साथ सफलता प्राप्त की थी। बिहार के 1946 ई.के चुनाव परिणामों पर ध्यान दें, तो विभिन्न मुख्य राजनीतिक दलों की स्थिति निम्न प्रकार रही थी:

स्पष्ट है कि इस चुनाव में लीग को बिहार में भारी सफलता मिली। कांग्रेस एवं तीन अन्य मुस्लिम दलों के प्रतिस्पर्धा के बीच लीग ने 34 सीटों पर सफलता प्राप्त की। कुल मुस्लिम आरक्षित स्थानों पर 71.8 प्रतिशत मतदान हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग को 83.7 प्रतिशत समर्थन प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर भी मुस्लिम लीग ने कुल 509 मुस्लिम आरक्षित स्थानों में से 442 पर सफलता प्राप्त की। निःसंदेह लीग ने स्वयं को एक मजबूत राजनीतिक दल के रूप में

स्थापित कर लिया था। निश्चित रूप से अब भारत के संदर्भ में कोई भी भावी फैसला लीग की सहमति के बिना मुश्किल हो गया था।

उपरोक्त तालिका का विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि सामान्य मतदाताओं के बीच कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था। चुनाव के दौरानकुछ उग्र हिन्दुओं ने हिंदू महासभा का समर्थन किया था, किंतु राष्ट्रवादी मुसलमानों को एक भी हिन्दू मत प्राप्त नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार यह तथ्य भी सत्य है कि उन्हें भी कुछ मत मुस्लिम मतदाताओं ने ही दिए थे। लीग भी मुस्लिमों के बीच स्थापित हो चुकी थी, अब उसका कोई विकल्प नहीं था। ऐसे बिगड़ते वातावरण में संभवतः साधारण अल्पसंख्यक जनता स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही थी, अतः वे स्वयं को लीग के झंडे के नीचे आने से नहीं रोक पाए। लीग स्वयं को राष्ट्रीय धारा से अलग कर अपने लिए शक्ति प्राप्त करना चाहती थी। स्पष्ट है कि मंत्रिमंडल गठन, संविधान सभा की स्थापना प्रत्यक्ष कार्यवादी दिवस एवं नोआरवली एवं बिहार के दंगों के दौरान लीग की अलगाववादी एवं साम्रादायिक राजनीति ने निश्चित रूप से भारत के विभाजन की रूपरेखा प्रस्तुत कर दी थी। लोगों के मध्य धार्मिक अलगाववाद तेजी से बढ़ा और जिसने देश के विभाजन को अपरिहार्य बना दिया। निश्चित रूप से यह दो राष्ट्र सिद्धांत की जीत थी।

### संदर्भ:

- सुलेखा दास कांग्रेस एट द हेल्म' दिल्ली, 1986, पृ. 13.
- तकी रहीम, स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के मुसलमानों का योगदान, पटना वर्ष-2000, पृ. 195
- पेडरल मून, डिवाइड एंड क्वीट, दिल्ली, 1988, पृ. 14.
- तकी रहीम पूर्व उद्घत पृ. 106
- जमीलउद्दीन अहमदध्संपादित, सम रीसेन्ट स्पीचेंज एंड राइटिंग ऑफ मुहम्मद जिन्ना, खंड-1, लखनऊ, पृ. 31-32.
- द इंडियन नेशन, पटना, 10 सितंबर 1937.
- जॉन मरे, जिन्ना क्रियेटर ऑफ पाकिस्तान, लंदन 1954 पृ. 122
- पॉलिटिक्स स्पेशल, बिहार राज्य अभिलेखागार, फाईल संख्या 584&1939.
- अली अनवर मंसावत की जंग, दिल्ली, 2001, पृ. 116.
- शो क्वाजियाँ मुस्लिम नेशनलिज्म एंड द पार्टिशन ऑफ 1946 प्रोवेन्सियल इलेक्शन इन इण्डिया, नई दिल्ली, 1998 पृ. 221.